

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. आयकर अपील संख्या 57/2024

प्रधान आयकर आयुक्त-I, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलकर्ता

बनाम

प्रताप टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-21, शक्ति भवन, शिवाजी गोदारा कॉलोनी, जयपुर। पैन/गिर
नंबर Aaicp3621R

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री अनुरूप सिंघी, वकील।
श्री आदित्य खंडेलवाल, वकील के साथ।
प्रतिवादी के लिए : श्री सिद्धार्थ रांका, वरिष्ठ वकील।
सुश्री सात्विका झा और
सुश्री अपेक्षा बापना,
श्री रोहन चैटर के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस प्रवीर भटनागर

आदेश

27/09/2024

अवनीश झिंगन, (जे) :-

- यह अपील धारा 260 ए के तहत विद्वान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 के विरुद्ध दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी-करदाता ने आकलन वर्ष 2018-2019 से संबंधित 24,87,27,450/- रुपये की कुल आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया। मामले की जांच की गई और रिटर्न आय को स्वीकार कर लिया गया। यह मामला प्रधान आयकर आयुक्त, जयपुर-I द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 263 के तहत इस आधार पर लिया गया था कि करदाता ने रिटर्न के साथ फॉर्म 10 डीए प्रस्तुत नहीं किया था, परिणामस्वरूप, धारा

(29/05/2025 को 04:01:25 PM पर डाउनलोड किया गया)

80 जेजेए के तहत दावा किए गए 3,01,18,395/- रुपये की कटौती को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। धारा 80 जेजेए के तहत कटौती के संबंध में आयुक्त द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर मूल्यांकन तैयार करने के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया था, न्यायाधिकरण ने करदाता की अपील स्वीकार कर ली।

3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने परिपत्र 9 दिनांक 17.09.2024 के आलोक में अपील की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। तर्क यह है कि विभाग के मामले को सर्वोच्च मानते हुए, यदि पूरी कटौती अस्वीकृत भी कर दी जाए, तो भी कर की मांग दो करोड़ रुपये से कम होगी। आगे यह तर्क दिया गया है कि रिटर्न के साथ फॉर्म 10 डीए दाखिल न करना, अपने आप में कटौती को अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा करदाता के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र 9, परिपत्र 5 दिनांक 15.03.2024 में दिए गए अपवादों को बरकरार रखता है। तर्क यह है कि वर्तमान मामला परिपत्र 5 दिनांक 2024 के पैरा 3.1 के खंड एफ में दिए गए अपवाद के अंतर्गत आता है। अपील स्वीकार्य है क्योंकि आदेश अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित किया गया है और कर प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।

4. अपीलकर्ता के वकील का तर्क निराधार है। 'कर की गणना न की जा सकने वाली राशि' और 'कर की गणना न की जा सकने वाली राशि' में अंतर है।

5. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के वकील का तर्क है कि मामले को चरम पर ले जाने पर भी, कटौती की अस्वीकृति लगभग तीन करोड़ रुपये की होगी और कर प्रभाव लगभग एक करोड़ रुपये का होगा।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील को परिपत्र 9/2024 के मद्देनजर पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है। प्रस्तावित विधि का सारवान प्रश्न खुला रखा गया है।

(प्रवीर भटनागर), जे

(अवनीश झिंगन), जे

110-चंदन/राहुल

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी